बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– / /2025

संचिका सं0–17/विविध–01–218/2024– .... . **स्वा0,** विभागीय आदेश सख्या– 34(17) से 52(17) (तक) दिनांक–11 01 2025 तथा 92(17) से 96(17) (तक), दिनाक–24 01 2025 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो में चिकित्सको को सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदो पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है।

उक्त के आलोक में कतिपय नवनियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों मे योगदान कर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं।

अत. वैसे नवनियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर, जो चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो मे योगदान कर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे है, को निदेशित किया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर सबधित पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल में योगदान कर कार्य करना सुनिश्चित करे, अन्यथा उनके सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर अवधि को स्वतः समाप्त माना जायेगा।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :– 17/विविध–02–218/2024 – 540(17) **पटना, दिनांक :–** 28/05/**2025**

प्रतिलिपि :– सबधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी संबधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 28/05/25

विशेष कार्य पदाधिकारी।